

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 जून 2010—ज्येष्ठ 28, शक 1932

## भाग ४

### विषय-सूची

- |                            |                               |                                  |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद के अधिनियम.             |
| (ग) (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                  |

### भाग ४ (क)—कुछ नहीं

### भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

### भाग ४ (ग)

### प्रारूप नियम

### परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जून 2010

### सूचना

क्र. एफ-22-56-2007-आठ.—मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 138 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गये अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्वारा, प्रकाशित किया

जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिवस का अवसान होने पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जावेगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति का सुझाव, यदि कोई हो, को प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग, भोपाल को कक्ष क्र. 434, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत की जा सकेगी।

ऐसी किसी भी आपत्ति या सुझाव पर, के उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

### संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में,—नियम 247 में की गई सारणी को विलोपित करते हुए निम्न सारणी अन्तःस्थापित की जावे, अर्थात् :—

#### “सारणी

अधिकारी (1)	अधिकारी धारा (2)
1. परिवहन आयुक्त	धारा 114 (1), 130 (1), 130 (2), 130 (3),
2. अपर परिवहन आयुक्त	132 (1), 133, 134 (ख), 136, 158 (1),
3. समस्त उप परिवहन आयुक्त	158 (2), 158 (3), 158 (4), 202, 206 तथा
4. समस्त सहायक परिवहन अधिकारी	207.”
5. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	
6. अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	
7. सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	
8. परिवहन निरीक्षक	
9. परिवहन उप निरीक्षक	
10. सहायक परिवहन उप निरीक्षक	

नोट.—कालम (1) में उल्लेखित समस्त अधिकारी कालम (2) में उल्लेखित समस्त धाराओं के अंतर्गत विहित शक्तियों को प्रयोग करेंगे।

#### NOTICE

No. F-22-56-2007-VIII.—The following draft of amendment in Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules, 1994, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 138 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the official Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft on or before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government.

#### DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, in rule 247, for the table, the following table shall be substituted, namely :—

#### “TABLE

Officers (1)	Sections of the Act (2)
1. Transport Commissioner	Section 114 (1), 130 (1), 130 (2), 130 (3),
2. Additional Transport Commissioner	132 (1), 133, 134 (b), 136, 158 (1), 158 (2),

(1)	(2)
3. All Deputy Transport Commissioner	158 (3), 158 (4), 202, 206 and 207.”.
4. All Assistant Transport Commissioner	
5. Regional Transport Officers	
6. Additional Regional Transport Officers	
7. Assistant Regional Transport Officers	
8. Transport Inspectors	
9. Transport sub-Inspectors	
10. Assistant Transport sub-Inspectors	

**Noté.**—All officers specified in column (1) shall exercise all the powers prescribed under all Section mentioned in column (2).".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दिलीप राज द्विवेदी, उपसचिव.

## अन्तिम नियम

### वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2010

क्र. 1-7-1-2010-नियम-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त नियमों के नियम, 38 (1) में शब्द “नब्बे” जहां-जहां भी आया है, उसके स्थान पर शब्द “एक सौ अस्सी” प्रतिस्थापित किया जाए.

यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगा.

No. F-1-7-2010-Rule-IV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Service (Leave) Rules, 1977, namely :—

### AMENDMENT

In Rule 38 (1) of the said rules, the word “ninety”, wherever occurring, shall be substituted by the word “one hundred eighty”.

This amendment shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जी. पी. सिंघल, प्रमुख सचिव.